न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 122/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/122
दायर दिनांक :– 08.06.2023 निर्णय दिनांक :– 21.05.2025

1. फातमा पुत्री मेवा पत्नी दीने खां जाति मुसलमान निवासी अखेराज की ढाणी भडला तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अलशेर खां पुत्र मेवे खां जाति मुसलमान निवासी भडला तहसील बाप जिला फलोदी
2. गुलाम नबी पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
3. बशीर खां पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
4. नासिरदीन पुत्र सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
5. जमाली खातु पत्नी सरादीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
6. जानी खातु पुत्री सरादीन पत्नी उमर खान जाति मुसलमान निवासी भडला तह. बाप जिला फलोदी
7. बसीरो पुत्री सरादीन पत्नी मुगलखां जाति मुसलमान निवासी भडला तह. बाप जिला फलोदी
8. अजीजो पुत्री सरादीन पत्नी मंजूर जाति मुसलमान निवासी भडला तह. बाप जिला फलोदी
9. हबीबा पुत्री सरादीन पत्नी भागेखां जाति मुसलमान निवासी पांचे का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
10. रहमत पुत्री सरादीन पत्नी हासण खां जाति मुसलमान निवासी पांचे का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
11. अमानुला पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
12. यासीन खां पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
13. हजूर खां पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
14. पिरोजा खातु पत्नी उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
15. बिलायत खातु पुत्री उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
16. मुख्त्यार खातु पुत्री उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
17. हनिफा खातु पुत्री उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
18. सोनी पुत्री उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
19. अब्दुल लतीफ पुत्र अजीज खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
20. नूर खातु पत्नी पीरबक्स जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
21. इनायतो पुत्री मेवे खां पत्नी अब्दुल खां जाति मुसलमान निवासी पाचें का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
22. कुन्दई पुत्री मेवे खां पत्नी मीरण खां जाति मुसलमान निवासी पाचें का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री राजेन्द्रसिंह सौंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1, 11 ता 14 व 19 ता 22

3. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 10

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को कब्जा काश्त से बेदखल दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। ग्राम नुरे की भुर्ज में खेत खसरा नम्बर 255 रकबा 28.9431 हैक्अेयर एंव ग्राम भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) में खेत खसरा नम्बर 70 रकबा 16.6730 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 255 वक्त भू–प्रबन्ध नीम्बा पुत्र जसवन्ता के नाम ग्राम नुरे की भुर्ज और खसरा नम्बर 70 मेवा पुत्र जसवन्ता के नमा ग्राम भड़ला चूहड़ो की बस्ती में बाद पैमाईश दर्ज अभिलेख किया गया। ग्राम नुरे की भुर्ज खसरा नम्बर 255 का खातेदार नीम्बा एवं खसरा नम्बर 70 ग्राम भड़ला चूहड़ो की बस्ती का खातेदार मेवा पिसरान जसवन्ता दोनों सगे भाई थे, नीम्बा पुत्र जसवन्ता लाऔलाद फौ हो गया था, नीम्बा का भाई मेवा ही एकमात्र विधिक उत्तरजीवी था, नीम्बा के नाम की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 28.9431 हैक्टेयर भूमि मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार मेवा पुत्र जसवन्ता में निहित हुई, और मेवा पुत्र जसवन्ता के फौत होने पर वादग्रस्त दोनों खसरान् की भूमि मेवा के विधिक उत्तरजीवी वादिनी और उसकी बहिने अप्रार्थीनी संख्या 21 ता 22 एवं भाई अप्रार्थी संख्या 1 अलशेर एवं मुतवफी भाईयों सरादीन तथा उस्मान में निहित हुई। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर नीम्बा के फौत होने पर विरासत में भूमि उसके भाई मेवा को निहित होने के बावजूद तत्कालीन हल्का पटवारी एवं सरंपच ग्राम पंचायत टेपू से मिलावट कर कूटरचना से नीम्बा के कोई औलाद नहीं होते हुवे सरादीन व उस्मान पिसरान मेवा को गलत एवं गैर कानूनी तरीके से नीम्बा के पुत्र बताकर सरासर गलत विरासत नामान्तरकरण संख्या 65 ग्राम नुरे की भुर्ज एंव खसरा नम्बर 70 ग्रमा भड़ला चूहड़ो की बस्ती का नामान्तरकरण संख्या 5 मेवा के फौत होने पर शेष सभी वारिसान को विरासम

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नामान्तरकरण में शमिल किये बिना अप्रार्थी संख्या 1 अलशेर खां के नाम खुलवाकर गलत स्वीकृत करवाया, नामान्तरकरण संख्या 65 ग्राम नूरे की भुर्ज एंव नामान्तरकरण संख्या 5 ग्राम भड़ला को प्रार्थीनी निरस्ता करवाने और मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के माफिक वादग्रस्त दोनों खसरान् में प्रार्थीनी अपना 1/9 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की हकदार है। राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि के शुरू से ही गलत विरासत नामान्तरकरण की आड में अप्रार्थी संख्या 20 को अप्रार्थी संख्या 11 ता 14 ने और अप्रार्थी संख्या 13 ने अप्रार्थी संख्या 19 को गलत हिस्से से अधिक विक्रय किया है, प्रार्थीनी और उसकी बहिने अप्रार्थीगण संख्या 21 ता 22 के नाम विरासत मे प्राप्त होने वाली भूमि के अभिलेख मे सहखातेदार दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 11 ता 14 और 19 ता 20 वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल करने पर आमादा हो आये है। दिनांक 25.01.2023 को प्रार्थीनी जब वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की पर बैंक से के.सी.सी ऋण प्राप्त करने के लिये हल्का पटवारी से जमाबंदी की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये सम्पर्क किया तो उसके जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि में उसका व उसकी बहिनों का नाम दर्ज नहीं है, तब प्रार्थीनी ने अपने भाई अलशेर खां व उस्मान तथा सरादीन के वारिसान से प्रार्थीनी का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज करवाने का कहने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 11 ता 14, 19 ता 20 ने धमकी दी कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि हमारे नाम दर्ज है तुम वादग्रस्त भूमि का कब्जा छोड दो अन्यथा मारपीट कर वादग्रस्त भूमि से बेदखल करेगे। अप्रार्थीगण कानून हाथ में लेकर प्रार्थीनी को वादग्रस्त भूमि में उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीनी के जायज हकूको पर कुठाराघात होगा और अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा, प्रार्थीनी दावेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 11 ता 14 व 19 ता 20 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 की और से अधिवक्ता राणीदानसिंह ने इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं.1, 11 ता 14 व 19 ता 22 की और अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 15 ता 18 की और से कोई उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम नुरे की भुर्ज के खाता संख्या 194 सम्वत् 2076–79 एवं ग्राम भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) के खाता संख्या 31 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1, 19, 20 व अन्य वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त की तय किया जाना है। अप्रार्थी संख्या 1, 19, 20 व अन्य वादग्रसत भूमि के अभिलिखित काश्तकार होने के कारण उपयोग एवं उपयोग का स्वतंत्र अधिकार है। अभिलिखित खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1, 19, 20 व अन्य वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थी को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा उपयोग व उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ह०) 21/6/25

([illegible])

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

बाप (फलोदी)